

विचार बिन्दु

दुःखाम्ना के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। –जॉन्सन

शिक्षा : व्यापार नहीं, समाज की बुनियादी आवश्यकता

आज के युग में शिक्षा का स्वरूप और उद्देश्य दोनों ही तीव्र बदल रहे हैं। जब शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना या बेहतर आमदनी का साधन बनकर रह जाए, तो उसका समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव गंभीर और विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। शिक्षा केवल कौशल प्रदान करने का माध्यम नहीं है; यह व्यक्ति की विचार धारा, नैतिक मूल्य, सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिक चेतना का निर्माण भी है। इसलिए शिक्षा को व्यापार समझकर केवल मुनाफ़ा कमाने का साधन बनाना न केवल नैतिक रूप से अनुचित है, बल्कि समाज के विकास और समष्टिगत कल्याण के लिए भी हानिकारक है।

सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें कि शिक्षा का सार क्या है। शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान और समझ प्रदान कर व्यक्ति को सक्षम बनाना है ताकि वह अपने जीवन का निर्णय विवेक और जागरूकता से ले सके। शिक्षा व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ सामाजिक समरसता, आर्थिक समानता और लोकतांत्रिक चेतना का स्तम्भ भी है। अगर हम शिक्षा को बाजार की तरह देखें तो शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता, गुणवत्ता और न्यायसंगत वितरण खतरे में पड़ जाते हैं। जब निजी संस्थाएँ शिक्षा को उत्पाद की तरह बेचती हैं, तो उनकी प्राथमिकता अक्सर लाभ बढ़ाना बन जाती है जिसका सीधा परिणाम होता है अल्प आय समूहों के लिए शिक्षा की पहुँच सीमित होना, गुणवत्ताहीन पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्रों का व्यापारिककरण।

दूसरी बात, शिक्षा का व्यावसायिकरण सामाजिक असमानता को गहरा करता है। बाजार-प्रधान शिक्षा प्रणाली में धनवान परिवार बेहतर संसाधनों, निजी कोचिंग और महंगी शिक्षण संस्थाओं तक पहुँच पाते हैं, जबकि गरीब एवं वंचित वर्गों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका परिणाम केवल आय में अंतर नहीं बनता; यह अवसरों, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन के चुनौतों में असमानता पैदा करता है। शिक्षा का उद्देश्य ही यदि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर बनाना है तो इसे सार्वजनिक जीवन का एक मूलभूत अधिकार समझकर संरक्षित किया जाना चाहिए। सरकारी नीतियाँ और समाजिक संस्थों इस दिशा में जिम्मेदारी निभाएँ तो ही शिक्षा का लोकतंत्रोत्पन्न संभव है।

जब शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना बन जाता है, तब पाठ्यक्रम अक्सर बाजार-उन्मुख और उपयोगितावादी हो जाते हैं। एकतरफा व्यावसायिक शिक्षा रोजगार-दक्षता बढ़ा सकती है परन्तु यह मानविकी, नैतिकता, इतिहास, कला और नागरिक अध्ययन जैसे विषयों को पीछे छोड़ देती है। ऐसे में नागरिकों में सामाजिक संवेदनशीलता, संचारात्मक कौशल, आलोचनात्मक सोच और संवेदनशील नैतिकता का विकास रुक जाता है। परिपक्व समाज के लिए केवल तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं होती; समाज को तार्किक चिंतन, आलोचनात्मक विश्लेषण, सहयोग की भावना और सांस्कृतिक समझ भी चाहिए जो समग्र शिक्षा ही दे सकती है।

शिक्षा और बाजार की मिलीभगत से शिक्षा का प्रमाणपत्रकरण भी एक वस्तु बन जाता है। डिग्रियों और सर्टिफिकेटों का महत्त्व कम होकर केवल नौकरी पाने का पास बन जाता है। इससे शिक्षण संस्थाएँ मात्र प्रमाण-पत्र बंटाने वाली फैक्ट्रियों की तरह काम करने लगती हैं। छात्रों में वास्तविक ज्ञान और कौशल का अभाव रह जाता है, और समाज में विशेषज्ञता का स्तर गिरता है। इसे रोकने के लिए शिक्षा के मूल्यों जिज्ञासा, सत्य की खोज, नैतिकता और सेवा भाव पर जोर देना आवश्यक है।

शिक्षा का व्यावसायिकरण लोकतंत्र के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। शिक्षित नागरिक ही लोकतांत्रिक शिक्षा एक सार्वजनिक बुनियादी आवश्यकता है वह बुनियाद जिस पर समाज का समग्र विकास, समानता और स्थायित्व निर्भर करता है। जब शिक्षा को समाज की पहली जरूरत माना जाएगा, तभी हम एक अधिक न्यायसंगत, समावेशी और प्रगतिशील समाज की निर्माण कर पाएँगे।

व्यापार नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता, यह पीढ़ियों और समाज की संरचना पर असर डालता है। शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में असमानता से स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक तालमेल भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा में निवेश सीधे आर्थिक विकास को प्रभावित करता है-शिक्षित सरकारी नलाचार और उत्पादकता बढ़ाता है। पर यदि व्यावसायिक सोच शिक्षाक्षेत्र को नियंत्रित कर ले, तो शोध और बुनियादी विज्ञान में निवेश घटेगा क्योंकि वे तत्काल लाभ नहीं देते; इससे दीर्घकालिक विकास प्रभावित होगा।

फिर भी प्रश्न उठता है क्या शिक्षा में निजी भागीदारी और निवेश पूरी तरह से नकारा जाते चाहिए? वास्तविकता में जवाब जटिल है। निजी संस्थाएँ संसाधन, नवीन विधियाँ और प्रबंधन कुशलता ला सकती हैं; पर जब वे सार्वजनिक हित से ऊपर आर्थिक हित को प्राथमिकता दें, तब समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। समाधान में संतुलन आवश्यक है:-सरकारों को शिक्षा को सार्वजनिक भलाई के रूप में संरक्षित रखना चाहिए, गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने चाहिए, और सभी के लिए सुलभ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है पर नियमों और जवाबदेही के साथ शिक्षण संस्थाओं पर मानक, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, और सर्वसमावेशी प्रवेश नीति लागू होनी चाहिए।

नीतिगत स्तर पर कुछ कदम तत्काल भाव डाल सकते हैं। सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के प्रशिक्षण और वेतन में सुधार शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कठोर निरीक्षण और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति तथा अनुदान योजनाओं का विस्तार। साथ ही शिक्षा की पाठ्यक्रम संरचना में मानविकी, नागरिक शिक्षा और जीवन कौशल को शामिल करना चाहिए ताकि युवा न केवल नौकरी के लिए तैयार हों, बल्कि समाज के जिम्मेदार नागरिक भी बनें।

सामाजिक और सामुदायिक स्तर पर भी भूमिका महत्वपूर्ण है। माता-पिता, स्थानीय समाज, और कॉरपोरेट लीडर्स शिक्षा को केवल परीक्षा के परिणाम के रूप में नहीं बल्कि चरित्र-निर्माण और सामाजिक योगदान के रूप में देखें। समाजिक सरकारें वाली संस्थाएँ, एनजीओ और शैक्षिक समुदाय सामूहिक प्रयास करके शिक्षा का दायरा बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोलना, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से पहुँच बढ़ाना, तथा स्थानीय भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।

शिक्षा एक सार्वजनिक बुनियादी आवश्यकता है वह बुनियाद जिस पर समाज का समग्र विकास, समानता और स्थायित्व निर्भर करता है। उसे केवल ताल के लिहाज़ से आंकना, मानवता के उस उद्देश्य को नकारना है जो शिक्षा की सबसे बड़ी सृष्टि रही है। जब शिक्षा को समाज की पहली जरूरत माना जाएगा, तभी हम एक अधिक न्यायसंगत, समावेशी और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर पाएँगे जहाँ हर व्यक्ति के हित वैयक्तिकोपार्जन के साधन पाता है, बल्कि सम्मान, स्वतंत्र सोच और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने में सक्षम बनता है।

–अतिथि संपादक, अविनाश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल शुक्रवार 4 सितम्बर, 2026

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2083, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 11:04 तक, हर्षण योग दिन 3:44 तक, बालव करण दिन 1:20 तक, चन्द्रमा आज 7:26 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मिथुन, बुध-सिंह, गुरु-कर्क, शुक-तुला, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज यमघट योग सूर्योदय से रात्रि 11:04 तक है। आज श्री कृष्णा जन्माष्टमी व्रत, श्री कृष्ण जयन्ती, मन्वादि, कालाष्टमी, सन्त ज्ञानेश्वर जयन्ती है। आज जीवैतिका पूजन, रोहिणी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघडिया: चर सूर्योदय से 7:45 तक, लाभ-अमृत 7:45 से 10:52 तक, शुभ 12:26 से 2:00 तक, चर 5:07 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:41

 मेघ आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है। घर-परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	 सिंह व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियाँ दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक वातां सफल रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	 धनु विवाहित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।
 वृष मानसिक तनाव दूर होने लगेंगा। मन: स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	 कन्या नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशावादन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	 मकर परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
 मिथुन आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आज अंगरंग कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।	 तुला चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियाँ अभी बनी रहेगी।	 कुंभ घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
 कर्क आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाह्य जगता पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	 वृश्चिक परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।	 मीन परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

राष्ट्रभक्ति और संघर्ष की प्रेरणा का गान वंदे मातरम्



पंकज मीणा

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित झंडारोहण कार्यक्रम कांग्रेस की राजनीति का प्रतिबिंब है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नए कानून की जानकारी के अभाव अथवा मुस्लिम छद्मीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम् के गायन को बीच में रोक दिया हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और सेवा दल के पदाधिकारियों के समझने के बाद वंदे मातरम् का गायन पूरा किया गया 2026 के मानसून सत्र में राज्यसभा और

लोकसभा द्वारा 1971 के राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अब वंदे मातरम् को भी इसमें शामिल किया गया है। संशोधन के बाद वंदे मातरम् के गायन को रोकना या उसमें व्यवधान डालना अपराध होगा। कांग्रेस की 1937 की कार्यसमिति में पहली बार वंदे मातरम् का विरोध हुआ था। यह विरोध मुख्यतः मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं की ओर से था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के लिए वंदे मातरम् का विरोध असेहज करने वाला था। देश जब स्वतंत्र हुआ और संविधान का निर्माण हो रहा था, तब राष्ट्रगान को लेकर गहन चिंतन-मंथन हुआ। एक विकल्प वंदे मातरम् था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र रहा था, जबकि दूसरा विकल्प जन गण मन था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वंदे मातरम् की ऐतिहासिकता और स्वतंत्रता संघर्ष से उसके गहरे जुड़ाव के महत्व को स्वीकार करते थे। 15 जून 1948 को नेहरू ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन

प्रभावित नहीं करती। राष्ट्रगान के निर्धारण के समय नेहरू वंदे मातरम् के पक्ष में नहीं थे। नेहरू ने इसके पीछे दो कारण बताए थे-पहला, इसका गायन अत्यधिक लंबा है और दूसरा, इसकी धुन उपयुक्त नहीं है तथा आर्केस्ट्रा के साथ इसे प्रस्तुत करने में परेशानी होगी। जबकि दुनिया के कई देशों के राष्ट्रगान वंदे मातरम् से अधिक लंबे हैं और उनके गायन में भी अधिक समय लगता है। दरअसल, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के चयन का आधार केवल उसकी समयावधि को मानना ही गलत है। नमोज, आरती आदि धार्मिक प्रार्थनाओं में भी अधिक समय लाता है, लेकिन उन्हें समय की अवधि से नहीं जोड़ा जाता। इसी प्रकार राष्ट्रगीत भी राष्ट्र की आराधना है, जिसे समय की अवधि से नहीं जोड़ा जा सकता। जहां तक नेहरू की वंदे मातरम् की धुन को लेकर दूसरी आपत्ति का सवाल है, वह भी अवांर्किक है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वंदे मातरम् का गायन और उसकी धुन ही युवासियों को एकजुट करती थी और देशवाओं में जोश भरती थी। स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद होने वाले अनेक

क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम् के जयघोष के साथ अपने प्राण न्योछावर किए। कांग्रेस को यह स्मरण फिर से करना होगा कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन के बाद वंदे मातरम् को भी धारा 3 में शामिल कर लिया गया है। जब बिल दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन गया और देश ने उसे स्वीकार कर लिया, तब कांग्रेस यह निर्णय करती है कि वंदे मातरम् पूरा नहीं जाएंगे। संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस नेताओं को यह कष्ट समझ आएगा कि संसद द्वारा पारित कानून की पालना करना ही संविधान का वास्तविक सम्मान है? असल में कांग्रेस की समस्या यह है कि जब संसद के सर्वोच्च सदन में कोई बिल पेश होता है, तब सदन में चर्चा करने के बजाय विपक्ष सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करता दिखाई देता है। सदन में हंगामा और व्यवधान कर महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का समय बर्बाद किया जाता है।

–पंकज मीणा, प्रवक्ता, भाजपा, राजस्थान

एसएमई आईपीओ का सच : छोटे कारोबार के लिए मौका या छोटे निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम?



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

भारत में छोटे और मध्यम कारोबारों को शेयर बाजार से पूंजी जुटाने का रास्ता देने के लिए बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए थे। उद्देश्य साफ था। छोटे कारोबार बैंक ऋण के अलावा इक्विटी बाजार से पैसा जुटाएँ, अपना कारोबार बढ़ाएँ और सफल होने पर आगे चलकर मेन बोर्ड का हिस्सा बनें। लेकिन अब जब इन प्लेटफॉर्म को एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है, तो सवाल केवल यह नहीं है कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं। असली सवाल यह है कि इनमें से कितनी कंपनियाँ वास्तव में सफल हुईं, कितनी मेन बोर्ड तक पहुँचीं, कितनी आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर ही हैं और कितनी के निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा? आंकड़े इस सवाल को गंभीर बनाते हैं।

1,400 से ज्यादा कंपनियाँ बाजार में आईं बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म मार्च 2012 में शुरू हुआ था। बीएसई के वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार स्थापना से अब तक 712 एसएमई कंपनियाँ इस प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हुईं और उन्होंने करीब 15,388 करोड़ जुटाए। केवल वित्त वर्ष 2025-26 में 146 कंपनियों ने सूचीबद्ध होकर 6,312.50 करोड़ जुटाए। 31 मार्च 2026 को मेन बोर्ड में जा चुकी कंपनियों को छोड़कर बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण करीब 70,420 करोड़ था। एनएसई इमर्ज की शुरुआत सितंबर 2012 में हुई।

एनएसई के दिसंबर 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्थापना से 31 दिसंबर 2025 तक 704 एसएमई कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और उन्होंने कुल 21,422 करोड़ जुटाए। उस समय प्लेटफॉर्म का बाजार पूंजीकरण करीब 2.2 लाख करोड़ था और 156 कंपनियों ने मेन बोर्ड में जा चुकी थीं। यानी केवल इन दोनों आधिकारिक आंकड़ों को मिलाएँ तो करीब 1,416 कंपनियाँ दोनों प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो चुकी थीं। फरवरी 2026 में सेबी के हवाले से सामने आए आंकड़े के अनुसार बीएसई और एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 1,400 से ज्यादा कंपनियाँ, करीब 4.1 लाख करोड़ के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ सूचीबद्ध हैं और 350 से ज्यादा कंपनियाँ मेन बोर्ड में जा चुकी थीं। यानी यह अब कोई छोटा प्रयोग नहीं रह गया है। यह हजारों करोड़ रुपये के निवेश वाला बड़ा बाजार बन चुका है। मेन बोर्ड तक पहुँची कितनी कंपनियाँ?

मेन बोर्ड में जाना एसएमई कंपनी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहां भी तत्सर्वर उतनी चमकदार नहीं है जितनी केवल सफलता के आंकड़े देखकर लग सकती है। अगस्त 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 364 कंपनियाँ एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में जा चुकी थीं, जिनमें लगभग 203 बीएसई एसएमई और 161 एनएसई इमर्ज से थीं। इसका अर्थ यह है कि हजारों कंपनियों के इस पूरे इतिहास में मेन बोर्ड तक पहुँचने वाली कंपनियों अभी भी अल्पसंख्या में हैं।

लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी कंपनियाँ असफल हैं। मेन बोर्ड में जाना स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कंपनी को निर्धारित पात्रता पूरी करनी पड़ती है। इसलिए सही सवाल यह है कि कितनी कंपनियाँ पात्रता हासिल कर पाईं और कितनी वर्षों बाद भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई हैं।

सबसे बड़ा सवाल: क्या निवेशक का पैसा सुरक्षित रहा? यहीं से तत्सर्वर बदलती है। भारी सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन ने छोटे निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन कई एसएमई शेयर इश्यू प्राइस से नीचे भी कारोबार कर रहे हैं। जून 2025 के एक विश्लेषण में बीएसई एसएमई की 50 नई सूचीबद्ध कंपनियों में से 28 और एनएसई इमर्ज की 55 में से 22 कंपनियाँ इश्यू प्राइस से नीचे थीं। 2025 में सूचीबद्ध 82 एसएमई कंपनियों में से 45 भी इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार कर रही थीं। फरवरी 2026 के आंकड़ों में नई सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों में करीब 60 प्रतिशत इश्यू प्राइस से नीचे थीं। मार्च 2026 की शुरुआत तक 30 नई एसएमई लिस्टिंग में केवल 7 प्रीमियम पर, जबकि 23 इश्यू प्राइस से नीचे खुलीं। हालांकि, इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार कराना डिफॉल्ट का प्रमाण नहीं है। लेकिन यह जरूर सवाल खड़ा करता है कि आईपीओ के समय जिस मूल्य पर निवेशकों से पैसा लिया गया, क्या बाजार आज भी उस मूल्य को उचित मानता है?

क्या कंपनियाँ डिफॉल्ट भी कर रही हैं? यहां सबसे ज्यादा सावधानी जरूरी है। बीएसई और एनएसई की ओर से स्थापना से अब तक डिफॉल्ट कर चुकी एसएमई कंपनियों की कोई एक समेकित सूची उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिना कंपनीवार जांच के निश्चित संख्या बताना उचित नहीं होगा।

शेयर का 50 प्रतिशत गिरना, घाटे में आना या मेन बोर्ड में माइग्रेट न करना डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट में ऋण या ब्याज भुगतान में चूक, दिवालिया प्रक्रिया, परिसमापन, गंभीर नियामकीय कार्रवाई या ट्रेडिंग निलंबन जैसी स्थितियाँ शामिल हैं। बीएसई के अगस्त 2025 के आधिकारिक आंकड़ों में 603 सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों में से 27 के शेयरों में ट्रेडिंग निलंबित थी। इनमें 196 कंपनियाँ मेन बोर्ड में माइग्रेट हो चुकी थीं और 407 एसएमई

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू प्राइस से नीचे हैं? कितनी 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से ज्यादा नीचे हैं? कितनी कंपनियाँ में ट्रेडिंग निलंबित है? कितनी कंपनियाँ दिवालिया

अब समय आ गया है कि बीएसई और एनएसई केवल यह न बताएँ कि कितनी कंपनियाँ सूचीबद्ध हुईं और कितनी मेन बोर्ड में चली गईं। निवेशकों के सामने एक स्पष्ट तत्सर्वर भी होनी चाहिए: कितनी कंपनियाँ आज भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर हैं? कितनी तीन या उससे अधिक वर्षों के बाद भी मेन बोर्ड के लिए पात्र नहीं बन पाईं हैं? कितनी कंपनियों के शेयर इश्यू